उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग
संख्याः 1147 /VII-1/2015/196–ख/2004
देहरादून : दिनांकः 6 ~~जुलाई~~ अगस्त, 2015

कार्यालय ज्ञाप

जनपद बागेश्वर की तहसील कपकोट के ग्राम तल्ला धपोली में 4.191 हैक्टेयर क्षेत्र में सोपस्टोन का 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टा चाहने हेतु आवेदक श्री प्रकाश सिंह धपोला पुत्र श्री रतन सिंह धपोला, निवासी ग्राम सखोला, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर एवं श्री हेम चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री विन्देश्वरी प्रसाद, निवासी ग्राम नायल पोस्ट दोफाड़, तहसील व जनपद बागेश्वर के आवेदन पत्र दिनांक 23.07.2012 के कम में इस आशय पत्र (letter of Intent) के माध्यम से राज्य सरकार श्री हेम चन्द्र उप्रेती को प्रश्नगत खनन पट्टा आवेदन पत्र में सहआवेदक मानते हुए तथा आवेदकगणों के पक्ष में जनपद बागेश्वर की तहसील कपकोट के ग्राम तल्ला धपोली में 4.191 हैक्टेयर क्षेत्र में खनिज सोपस्टोन का 20 वर्ष की अवधि हेतु खनन पट्टा स्वीकृत करने की मंशा रखती है। आवेदक यदि उक्त खनन पट्टा लेने हेतु सहमत हों तो निम्नलिखित विवरणानुसार मांइनिंग प्लान, अनुमोदित प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून से अनुमोदित कराकर एवं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना का0आ0 2601 (अ) दिनांक 07 अक्टूवर, 2014 के कम में जारी शासनादेश संख्या 1621/VII-1/212–ख/2014 दिनाांक 17 दिसम्बर, 2014 के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति तथा वित्तीय आश्वासन की प्रति निदेशक के माध्यम से अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस पत्र प्राप्ति के छः माह में प्रस्तुत करें, जिससे खनन पट्टे की औपचारिक स्वीकृति जारी की जा सके :–

1. खनन पट्टे लेने हेतु आवेदक की लिखित सहमति ।
2. खान मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा खनिज सोपस्टोन को गौण खनिज (उपखनिज) घोषित कर दिये जाने के फलस्वरूप इस हेतु राज्य सरकार द्वारा भविष्य में निर्धारित की जानी वाली नीति में उल्लिखित प्राविधान प्रश्नगत खनन पट्टे पर प्रभावी होंगे।
3. प्रस्तावित क्षेत्र का सीमाबन्धन भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग तथा वन विभाग के प्रतिनिधि के साथ किया जायेगा। सीमाबन्धन के समय यदि क्षेत्र का कोई भाग आपत्तिजनक पाया जाता है, तो उसे निकाल दिया जायेगा जिसके फलस्वरूप क्षेत्र अथवा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन होता है तो वह आवेदक को मान्य होगा।
4. जिलाधिकारी, बागेश्वर द्वारा सीमाबन्धन रिपोर्ट में इस आशय का प्रमाण पत्र दिया जाये कि खनन पट्टे पर स्वीकृति हेतु प्रस्तावित सीमाबन्धित क्षेत्र में ऐसी कोई भूमि सम्मिलित नहीं है, जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के प्राविधानों से प्रभावित हो तथा वन भूमि सीमाबन्धित क्षेत्र की परिधि से कम से कम 100 मीटर की

5. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत आने वाली सार्वजनिक उपयोग की भूमि में खनन कार्य निषिद्व रहेगा।
6. खनन पट्टा क्षेत्रान्तर्गत पडने वाले वृक्षों की सुरक्षा का दायित्व पट्टाधारक का होगा।
7. खनन तथा अन्य राजकीय बकाया न होने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी का निर्धारित प्रपत्र में अद्यतन "अदेयता प्रमाण–पत्र" तथा "चरित्र प्रमाण पत्र " प्रस्तुत करना होगा।
8. आयकर/आयकर विवरणी जमा करा दिये जाने के सम्बन्ध में आयकर अधिकारी का अद्यतन प्रमाण पत्र। यदि आयकर देय नहीं हो तो इस बारे में अद्यतन शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त मूल निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः 1153 (1)/VII-1/2015/196–ख/2004, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी बागेश्वर।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को उनके पत्र दिनांक 05 सितम्बर, 2014 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं निम्न निर्देशों के साथ कि खनन पट्टा विलेख हेतु प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–
   (क) इस आदेश द्वारा स्वीकृत क्षेत्र का सीमा बन्धन हर हाल में इस आदेश की दिनांक से 60 दिवस में करा लिया जावे ताकि समयान्तर्गत पट्टाधारक द्वारा पट्टाविलेख का निष्पादन कराया जा सके।
   (ख) खनन पट्टा क्षेत्र के सीमाबन्धन की सूचना मय सीमाबन्धन रिपोर्ट, मानचित्र आदि के सीमाबन्धन पूर्ण किये जाने की दिनांक से 10 दिवस में शासन को प्रेषित कर दी जावे।
   (ग) सीमाबन्धन रिपोर्ट में यह प्रमाण पत्र अवश्य दिया जावे कि खनन पट्टे पर स्वीकृत क्षेत्र में सम्मिलित वन भूमि के अलावा कोई अन्य वन भूमि खनन पट्टा हेतु सीमाबन्धित क्षेत्र में सम्मिलित नहीं की गई है तथा सीमाबन्धित क्षेत्र की परिधि से कम से कम 100 मीटर की दूरी पर है।
3. श्री प्रकाश सिंह धपोला पुत्र श्री रतन सिंह धपोला, निवासी ग्राम सखोला, तहसील काण्डा, जनपद बागेश्वर एवं श्री हेम चन्द्र उप्रेती पुत्र श्री विन्देश्वरी प्रसाद, निवासी ग्राम नायल पोस्ट दोफाड़, तहसील व जनपद बागेश्वर।
4. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जी0एस0 भाकुनी)
उप सचिव।